संख्या-78/2018/288/69-1-18-6(आसरा-37)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018

विषय: शहरी गरीबों के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना"(आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-37 से जनपद-कन्नौज की निकाय-कन्नौज (सिकन्दरपुर) की 120 आवासों की 01 परियोजना में वाह्य विद्युत संयोजन मद में अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3041/10/छः/विविध/आसरा/तकनीकी(सिकन्दरपुर-120) दिनांक 08 नवम्बर, 2017 एवं संख्या-4260/64/दस/आसरा/विविध-चार/2016 दिनांक 01 फरवरी, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी गरीबों के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में "आसरा योजना" (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-37 से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-कन्नौज की निकाय-कन्नौज (सिकन्दरपुर) की 120 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-1359/69-1-13-09(आसरा)/2013 दिनांक 09 सितम्बर, 2013 द्वारा रू0 355.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 177.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी एवं शासनादेश संख्या-419/2015/806/69-1-14-9(आसरा)/2013 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 177.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। उक्त के अतिरिक्त अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना में हुई मूल्यवृद्धि के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-822/2016/2371/69-1-16-6 (आसरा-37)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा परियोजना को पुनरीक्षित करते हुए रू0 593.57 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित अन्तर की धनराशि रू0 238.77 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। अतएव उक्त परियोजना में वाटर हेड टैंक-40 किलोलीटर एवं वाह्य विद्युत संयोजन मद में विद्युत विभाग को देय अतिरिक्त धनराशि के दृष्टिगत परियोजना को पुनरीक्षित करते हुए रू0 615.21 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त दोनों मदों में देय अन्तर की धनराशि रू0 21.24 लाख (रूपये इक्कीस लाख चौबीस हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय इस प्रतिबन्ध के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि कार्यदायी संस्था को धनराशि निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि विद्युत विभाग द्वारा प्रेषित आगणन विद्युत विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदित है। परियोजनान्तर्गत शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत रहेंगे।

2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

परि0अधि0 / कार्यक्रम अधि0

75/597
8/3/18

-2/

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 एवं समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- /2018/288(1)/69-1-18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, कन्नौज।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic